हमने अभी तक पूर्ति की तथा शिड्यूल I (schedule I) व शिड्यूल II (schedule II) में वर्णित प्रावधानों के बारे में चर्चा की थी। अब इस कड़ी में Schedule III में हुए बदलाव और उसके परिणामो के बारे में विवेचना करेंगे। पुराने जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में schedule III में रजिस्टर होने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया था ,परंतु नए जीएसटी क़ानून में उन गतिविधियों (activities) व सौदों (transactions) के बारे में दर्शाया है जो न तो गुड्स और न ही सर्विस की पूर्ति है।

1. नए जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून की पहली entry में कर्मचारी (employee) द्वारा नियोक्ता (employer) को दी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को रोज़गार के दौरान दी जाने वाली सेवाओं को पूर्ति नहीं माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में भी सेक्शन 9 " taxable person" की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को रोज़गार के दौरान दी गई सर्विस को निकाला गया था। यही नहीं, वर्तमान जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में भी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी गई सेवाओँ को निकाला गया है। अतः नए जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को रोज़गार के दौरान दी जाने वाली सेवाओं में कोई बदलाव नहीं किया है।

2.नए जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में किसी भी law में कोर्ट तथा ट्रिब्यूनल (Tribunal) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पूर्ति नहीं माना जाएगा। तथा जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तथापि ऐसा प्रावधान वर्त्तमान service tax law में है। वर्तमान में सर्विस परिभाषा में से किसी भी कानून में ट्रिब्यूनल अथवा कोर्ट को को दी जाने वाली फीस (fees) को हटाया गया है । इस प्रकार , नए जीएसटी ड्राफ्ट क़ानून में पुरानी विसंगति को दूर किया गया है।

3. नए जीएसटी law में , नई एंट्री (entry) डाली गई है जिसमें नीचे दिए गए कार्यों और सर्विसों को पूर्ति नहीं माना गया है:-

(१) संसद के सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों, अन्य स्थानीय प्राधिकारी के सदस्यों द्वारा दी गई सेवाएं , तथा

(२)संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में किसी भी पदधारण द्वारा उस पद की क्षमता में किया गया कार्य तथा,

(३) केंद्रीय सरकार , राज्य सरकार तथा प्राधिकारण द्वारा नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य या director in a body corporate द्वारा किये गए कार्य और जो इसके प्रारम्भ से पहले एक कर्मचारी के रूप में समझ नहीं है।

यथावत ऊपर दी गई entry को पुराने ड्राफ्ट जीएसटी क़ानून में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन वर्तमान में सर्विस की परिभाषा में व्याख्या में भी है । अतः यह एंट्री पुराने ड्राफ्ट जीएसटी कानून को सुधारती है।

4 . नये जीएसटी क़ानून के अनुसार , विदेशी राजनयिक मिशन जो भारत मे है को भी पूर्ति नही माना गया है तथा जीएसटी नही लगाया जायेगा और पुराने जीएसटी क़ानून मे भी इसका कोई प्रावधान नही था । वर्तमान मे भारत मे स्थित विदेशी राजनयिक मिशन को नेगिटिव लिस्ट (negative list) मे रखा है ।

5. नये law के अनुसार, अंतिम संस्कार , कब्रिस्तान, श्मशान की सेवाओं या मृतक के परिवहन सहित मुर्दाघर की सेवाओं को पूर्ति नही कहा गया है तथा जीएसटी नही लगाया जाएगा । इस सर्विस पर सर्विस टैक्स भी नही लगाया जाता है। अतः इस विसंगति को दूर किया गया है। लेकिन पुराने जीएसटी क़ानून मे ऐसा कुछ नही कहा गया था।